

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 664]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त 2025 — श्रावण 28, शक 1947

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-5/39/2025-LABOUR.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 5 में, अंक एवं शब्द “10 वर्ष” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “15 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**फरिहा आलम**, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th August 2025

NOTIFICATION

No. RULE-5/39/2025-LABOUR.— In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rule,-

In rule 5, for the figures and word "10 years", the figures and word "15 years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
**FARIHA ALAM**, Joint Secretary.